न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 43/2017 ::

आर.सी.एम.एस. न. ::2017/00217 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
विश्वपालसिंह मेड़तिया सरपंच ग्राम पंचायत जीवन्दकलां पंचायत समिति पाली जिला पाली		1. स्व. पोकरराम पुत्र दोलाजी जाति लुहार निवासी बोरडी के कायम मुकाम 1/1 विध्यादेवी पत्नी स्व. पोकरराम 1/2 रमेश पुत्र स्व. पोकरराम 1/3 देवराज पुत्र स्व. पोकरराम 1/4 सुकन पुत्र स्व. पोकरराम 1/5 भरतकुमार पुत्र स्व. पोकरराम 1/6 पिंकीदेवी पुत्री स्व. पोकरराम जातिगण लोहार निवासीगण बोरडी तहसील रानी जिला पाली 2. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पाली 3. सचिव ग्राम पंचायत जीवन्दकलां तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थी श्री मांगीलाल प्रजापत उपस्थित

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/2 व 1/3 की ओर से श्री सी.पी. सिंगानिया उपस्थित

-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 31/12/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत जीवन्दकलां पंचायत समिति रानी के मिसल संख्या 09/1996 एवं प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 17.08.1996 की पालना में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 30.06.1997 के विरूद्ध पेश की है प्रार्थी की निगरानी दर्ज की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एवं ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी जीवन्दकलां ग्राम पंचायत का सरपंच है। ग्राम पंचायत जीवन्दकलां के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पोकरराम के पक्ष में उनको पूर्व में ग्राम पचांयत द्वारा निःशुल्क पट्टा संख्या 1354 के पास रास्ते की भूमि का पट्टा संख्या 17 जारी कर दिया, जो काबिल निरस्त है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पालना नहीं की है। ग्राम

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

पंचायत में उक्त पट्टे को जारी करने हेतु न तो मिसल कायम की, न ही नक्शा बनाने हेतु वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया, न ही उक्त भूखण्ड के संबंध में कोई आपती इश्तिहार जारी किया गया। जबकि उक्त सभी प्रक्रिया को अपनाया जाने का आज्ञापक प्रावधान है तथा उक्त प्रक्रिया को अपनाये बगैर जारी पट्टा काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17.08.1996 को प्रस्ताव संख्या 8 में मात्र यह अंकन कर की मिसल संख्या 1 से 9 को पट्टा जारी किया जावे एवं इसी प्रस्ताव की पालना में बिना मिसल कायम कर जैर निगरानी पट्टा संख्या 17 राज. पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत अप्रार्थी का कब्जा मानते हुए मात्र 860/– रूपये में 3440 वर्गफुट की भूमि का जारी किया गया, जो नियम विरूद्ध होने से काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत द्वारा इतने बढ़े भूखण्ड का पट्टा जारी करने के लिए निलामी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, जो ग्राम पंचायत द्वारा नहीं अपनाई गई तथा उक्त भूमि मात्र 860/– रूपये में आंवटित की गई, जबकि डि.एल.सी. दर से अगर विक्रय किया गया होता तो उक्त भूखण्ड की कीमत लाखों में होती। इस प्रकार विधिक प्रक्रिया अपनाए बगैर जारी पट्टा काबिल निरस्त है। वर्तमान में मौके की स्थिति अनुसार उक्त पट्टे की भूमि के कुछ हिस्से पर आंगनवाडी का भवन निर्माणाधीन है तथा इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी विघ्यादेवी द्वारा बाधा उत्पन्न करने पर उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस दिया गया व पुलिस जाप्ते द्वारा आंगनवाडी के भवन से उन्हें बेदखल किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्वसुदा भवन आंगनबाड़ी केन्द्र बोरडी की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से सिविल न्यायालय में वाद विचारणीय है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के उतराधिकारीगण आंगनबाडी की भूमि पर कब्जा करने हेतु उतारू है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी विक्रय विलेख संख्या 17 खारीज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1/2 व 1/3 ने वक्त बहस कथन किया कि उनके पिता पोकरराम को ग्राम पंचायत जीवन्दकलां द्वारा एक भूखण्ड का दिनांक जरिये पट्टा संख्या 1354 दिनांक 25.11.1975 को निःशुल्क जारी किया गया है। उसी भूखण्ड के चिपते उनका दुसरा भूखण्ड भी स्थित था, जिसके पट्टे हेतु उनके पिता पोकरराम ने ग्राम पंचायत में नियमानुसार आवेदन किया तथा ग्राम पंचायत राज. पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत अप्रार्थी का कब्जा मानते हुए मात्र 860/– रूपये में जारी किया गया। जो नियमानुसार है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा रास्ते की भूमि का नहीं है। ग्राम पंचायत में जैर निगरानी पट्टा के संबंध में मिसल संख्या 9/1996 उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जो ग्राम पंचायत का रेकर्ड है तथा अगर ग्राम पंचायत में मिसल नहीं है, तो इसमें अप्रार्थीगण का कोई दोष नहीं है एवं इसका खामियाजा अप्रार्थीगण क्यों भुगते, जबकि अप्रार्थीगण ने अपने कब्जासुदा भूखण्ड के पट्टे हेतु आवेदन कर, ग्राम पंचायत में राशि जमा कराकर विक्रय विलेख प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत जीवन्दकलां ने एक पट्टा महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाडी हेतु निःशुल्क भूमि का पट्टा वर्ष 2002 में जारी कर दिया, जिसमें अप्रार्थी की पट्टासुदा भूमि के कुछ भाग को भी शामिल कर दिया। इस संबंध में अप्रार्थी का एक वाद महिला बाल

अति० जिला कलेक्टर, पाली

विकास विभाग के विरूद्ध सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख नियमानुसार जारी किया गया है तथा इसे बहाल रखा जाकर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी जो की ग्राम पंचायत जीवन्दकलां का सरपंच है तथा उसने इसी हैसीयत से निगरानी न्यायालय में पेश की है। अप्रार्थी संख्या 1 पोकरराम के हक में जारी विक्रय विलेख संख्या 17 के संबंध में ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किए जाने पर ग्राम पंचायत ने मूल पट्टा व बैठक कार्यवाही रजिस्टर तो उपलब्ध करवा दिया, लेकिन मिसल संख्या 09/11.01.1996 ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। इस कारण जैर निगरानी मिसल का बैठक कार्यवाही विवरण से तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि संभवतः आवेदक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय विलेख प्रदान करने हेतु पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 21.05.1996 को मिसल कायम की जाकर सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश पारित किए। उसके पश्चात मिसल दिनांक 17.08.1996 को पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत होती है, जिसमें प्रस्ताव संख्या 8 के जरिये पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए। इससे यह प्रमाणिक तथ्य है कि प्रकरण हाजा में ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 255 से 270 में विहित प्रक्रिया की पूर्णतः अनदेखी की गई है। जिसके कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को मान्यता प्रदान की जानी न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत जीवन्दकलां पंचायत समिति रानी के मिसल संख्या 09/1996 एवं प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 17.08.1996 की पालना में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 30.06.1997 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत जीवन्द कला को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड पालनार्थ भिजवाया जावे।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलक्टर, पाली